रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 283] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 11, 2016/आषाढ़ 20, 1938
No. 283] NEW DELHI, MONDAY, JULY 11, 2016/ASADHA 20, 1938

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जुलाई, 2016

फि. सं. 1-1/2012(सीपीपी-II).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26 की धारा (1) की उप-धारा (एफ़) एवं (जी) जिसे अनुच्छेद 12 की धारा (जे) के साथ संयुक्त रूप से पढ़ा जाए, में प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन में, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एतद्द्वारा निम्न विनियम निर्मित करता है, नामतः-

1. **लघु शीर्ष, अनुप्रयोग एवं प्रवर्तनः-**

(1) ये विनियम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2016 कहलायेंगे (जो आगे से विनियम के रूप में जाने जाएँगे)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (भारतीय एवं विदेशी शैक्षिक संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग के मानकों की प्रोन्नति एवं अनुरक्षण) विनियम, 2012 एतद्द्वारा निरस्त माने जाएँगे।

(2) ये विनियम निम्न पर लागू होंगेः-

(ए) तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त अन्य भारतीय संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे ऐसे समस्त विदेशी शैक्षिक संस्थान जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व भारत में संचालन कर रहे हैं अथवा सहयोग के माध्यम से डिग्री प्रदान करने के लिए अपने पाठ्यक्रम प्रस्तुत करने के लिए इच्छुक हैं: तथा

(बी) ऐसे भारतीय शैक्षिक संस्थान- तकनीकी संस्थानों के अतिरिक्त- जो इन विनियमों के लागू होने से पूर्व, पहले से ही सहयोग प्रदान कर रहे हैं अथवा डिग्री स्तर पर अध्ययन कार्यक्रम प्रस्तुत करने के उददेश्य से विदेशी शैक्षिक संस्थानों के साथ सहयोग कर रहे हैं।

(3) ऐसे कोई भी भारतीय शैक्षिक संस्थान अथवा विदेशी शैक्षिक संस्थान (जो कि पहले से ही परस्पर सहभागी व्यवस्था के अन्तर्गत हैं)- वे इन विनियमों को लागू होने की तिथि से 06 माह के भीतर इनका अनुपालन करेंगे।

(4) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये विनियम लागू माने जाएँगे।

2. **परिभाषाएँ:-**

(ए) "अधिनियम" से तात्पर्य है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया है।